माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, खण्डपीठ (सर्किट),

इंदौर जिला इंदौर

(140)

रा0 निगरानी क्र0 /2013

R-2188-PBR/13 प्रस्तुती दिनांक : 01.5.2013

मोहनलाल पिता श्री रतिराम,
आयु 55 साल, व्यवसाय कृषि,
निवासी ग्राम बोरखेडी, तेह0 महू, जिला इंदौर .... प्रार्थी

विरूद्ध

श्री सोहन शुक्ला
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 17-5-13
को प्रस्तुत
365/17-5-2013
अधीक्षक

1. रशेल एग्रोटेक प्रायवेट लिमिटेड,
तर्फे आम मुख्त्यार :
पूनम पिता रामलाल सैनी,
उम्र वयस्क,
निवासी 33-ए, न्यू उमरियाकालोनी,
तहसील महू, जिला इंदौर

उप्र कार्यालय से
29/5/13

1-6-13

2. देवकरण पिता आत्माराम,
निवासी ग्राम बोरखेडी, ते0 महू, जिला इंदौर ... प्रतिप्रार्थीगण

।। रिविजन धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता के अन्तर्गत।।

प्रार्थी का सादर निवेदन है कि :-

प्रार्थी यह रिविजन श्रीमान अपर तेहसीलदार महोदय, डां0 अम्बेडकरनगर, महू, जिला इंदौर के द्वारा राजस्व प्रकरण क्र0 10/अ-13/2012-2013 (रशेल एग्रोटेक विरूद्ध मोहनलाल) में दि0 8.4.2013 को पारित रिविजनगत आदेश जिसके माध्यम से प्रतिप्रार्थी क्र0 1 रशेल एग्रोटेक प्रा. लि. के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी0 एवं आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 सीपीसी0 एवं धारा 32 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 का आवेदन स्वीकार करने संबंधी आदेश दिए गए है, से असंतुष्ट होकर प्रार्थी यह रिविजन सादर प्रस्तुत करता है कि:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2188-PBR/13 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-2-2018	आवेदक पक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने के उपरांत आज दिनांक तक अनुपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार महू डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-4-2013 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। नायब तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक के आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अनुमति दी गई है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	

[कृ. प. उ.